न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 108/2025
अनवान : –

संजू आदि बनाम विजय आदि

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी
वकील प्रार्थी – श्री एमकेगौड़
वकील अप्रार्थी – श्री सुभाष गर्ग

आदेश

दिनांक 7/4/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी (मूल वाद में प्रतिवादी) ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादपत्र की चरण संख्यों में वर्णित आराजी में से प्रश्नगत आराजी को वादीया संजूदेवी पुत्री श्री हरीराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ के अपनी अन्य बहिनों के क्रमश कमलादेवी, इन्द्रादेवी, गायत्री देवी स्वंय वादीया संजूदेवी पुत्रीयान स्वर्गीय श्री हरीराम जाति जाट निवासी टिब्बी की बतौर वारिसान् अपने स्व० पिता हरीराम से प्राप्त विरास्तन हक हिस्सा की भूमि को जरिये विधिसमत् विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुवे विधि अनुकूल सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्राधिकृत उप–पंजियक कार्यालय टिब्बी में दिनांक 09.09.1993 को उक्त दस्तबरदारी दस्तावेज को स्वंय हाजिर उपपंजियक कार्यालय में हाजिर होकर अपनी स्वेच्छा से विधिवत् विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त दस्तबरदारी दस्तावेज को निष्पादित करवाया है जोकि पुस्तक संख्या – 01 क्रम संख्या – 619 अतिरिक्त पुस्तक संख्या – 1 जिल्द संख्या–93 पृष्ठ संख्या–9 से 11 पर पंजीबद्ध किया गया दस्तावेज है उक्त पंजीबद्ध दस्तबरदारी दस्तावेज के द्वारा वादीया ने प्रश्नगत भूमि आराजी अपने हक हिस्सा की जोकि विभिन्न चकों में क्रमशः चक 11 जी. जी. आर. का खाता संख्या– 52/51 व चक नम्बर 6 एस. आर. डब्ल्यु. खाता संख्या – 99/ 97 व चक 12 जी. जी. आर. का खाता संख्या – 65/ 66 एवं चक 11 जी. जी. आर. के खाता संख्या––37/37 में से 1/3 हिस्सा के रकबा में से जितना भी रकबा उक्त दस्तबरदारी करने वाले मिकरान के हक व हिस्सा में अपने पिता के रकवा में से आता था, को अपनी माता विद्यादेवी बेवा श्री हरीराम और अपने सगे भाई स्व0 रायसिंह व विजय मु० सिंह पुत्रयान हरीराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ के हक में दस्तबरदार यानि अपने हक हिस्से को मिकरानों द्वारा अपने हक के क्लेम का त्याग यानि छोड़ दिया गया था। चूंकि जेरकार समाजिक व्यवस्था के हिन्दू नियम के अन्तर्गत उत्तराधिकार की निर्धारित व्यवस्था को स्वीकार ना करते हुवे जो कुछ हिस्सा हक के उन्हें प्राप्त होना था, उसे मिकरान वादीया द्वारा हासिल करना दर्शाते हुवे अपने स्व० पिता हरीराम द्वारा जो हक हिस्सा देना था, वो दे दिये जाने के और उसके सन्तुष्ट होते हुवे अपने हक हिस्से को तथाकथित प्रश्नगत हिस्सा भूमि को त्यागा जोकि विधिसमत् और विधि अनुकूल दस्तावेज के ही त्यागा गया है, उक्त दस्तावेज आज भी कानूनी रूप से एक प्रभावशाली दस्तावेज है जोकि कतई तथाकथित कथनों के विधि विरूद्ध व शुन्य दस्तावेज नही है । उक्त दस्तावेज दस्तबरदारी को स्वंय वादीया ने अपनी स्वेच्छा से समझकर, सुनकर सक्षम उप–पंजियक कार्यालय टिब्बी के प्राधिकृति अधिकारी के समक्ष हाजिर होकर विधिक न्यायिक प्रक्रिया के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त दस्तावेज को निष्पादित किया गया है जोकि कतई शुन्य व प्रभावहीन दस्तावेज की श्रेणी में नही आता है । वादीया द्वारा निष्पादित दस्तावेज दस्तबरदारी दस्तावेज जोकि दिनांक

09.09.1993 में पंजीबद्ध करवाया गया था, जिसे आज 32 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, इससे स्पष्ट है कि वादिया का उक्त कथन कि वह आज से 32 वर्ष पूर्व नाबालिग थी, चूंकि कानूनन वादीया 09.09.1993 के उपरान्त बतौर व्यक्तिगत हासिल के उक्त दस्तावेज को स्वीकार करते हुवे इससे पूर्व कोई कार्यवाही उक्त दस्तावेज को निष्प्रभावी अथवा शुन्य घोषित करवाने हेतु किसी प्रकार से कोई कार्यवाही का ना किया जाना ही इस बात को स्पष्टत्या पुष्ट करती है कि वादीया ने अपने हक हिस्से के त्याग को स्वीकार कर लिया है । और उक्त दस्तावेज द्वारा ट्रांस्फर हुवे हक हिस्सा के अनुसार दर्ज कागजात में अमलदरामद होने के उपरान्त ही प्रश्नगत भूमि को बतौर विरासतन भूमि के हक हिस्सा को ही वर्तमान में मुझ प्रार्थीया के हक में प्रश्नगत भूमि को अमलदरामद दर्ज कागजात् हुआ है, जोकि विधिसमत् विधिक अनुकूल राजस्व कागजात् का इन्द्राज है, जिसे बदला नही जा सकता है । दस्तावेज दस्तबरदारी एक रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार प्राप्त प्राधिकृत सक्षम अधिकारी के यहां पंजीबद्ध दस्तावेज है, जिसे शुन्य अथवा प्रभावहीन एवं विधि विरूद्ध दस्तावेज करार देने का अधिकार सिविल न्यायालय को बनता है ना कि अदालतहाजा के क्षेत्राधिकार के श्रवणाधिकार को वाद बनता है। इस स्थिति में भी उक्त वादपत्र वादीया का Barred by Law की श्रेणी का है, जिसे आर. टी. एक्ट की धारा 207 भी प्रभावित करता है। इस स्थिति में उक्त जेरकार वाद अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाला वादपत्र नही है, जोकि काबिल खराजी के होता है । अतः प्रार्थनापत्र आदेश– 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत दायर वादपत्र प्राईमाफेसिया काबिल निरस्तनीय बनता है, जिसे निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी ने आरबीजे 2020 पेज 115 सर्वोच्च न्यायलय, आरबीजे 2023 पेज 632 उच्च न्यायलय राजस्थान आरबीजे 2020 पेज 16 व डीएनजे 2017 (1) न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। **अधिवक्ता अप्रार्थी (मूल वाद में वादी) ने अपने** जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 3 के तथ्य जिस तरह से अंकित किये है, स्वीकार नही । प्रतिवादीगण 5,6,7 की ओर से प्रस्तुत दस्तबरदारी दिनांक 9.9.93 शुन्य दस्तावेज है उस समय वादीया सन् 1993 में नाबालिग थी उस समय वादीया की आयु 16 वर्ष थी तथा 16 वर्ष की उम्र नाबालिग अवस्था में किया गया दस्तावेज शुन्य दस्तावेज है। शुन्य दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादीगण को विधिक अधिकार प्राप्त नही होते । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 के तथ्य के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही । नाबालिग सदस्य द्वारा किया गया करार प्रारम्भ से ही शुन्य दस्तावेज है उस दस्तावेज से कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 5 कतई गलत अंकित की गई है, स्वीकार नही । वादीया की जन्मतिथि 10.10.1977 है । प्रतिवादीगण द्वारा प्रदत दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 9.9.1993 को वादीया नाबालिग थी, नाबालिग अवस्था में किया गया दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य है। घोषणा का वाद कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। घोषणा के वाद में मियाद की कोई अवधि नही होती । वादीया का वाद घोषणा का है। घोषणा का वाद माननीय न्यायालय को सुनने की क्षैत्राधिकारिता है । वादीया का वाद बार्ड बाई लॉ नही है । विधिक प्रावधानों के तहत पेश किया गया है । वादीया का वाद चलने काबिल है अतः जबाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सीपीसी मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने 2020 डीएनजे एसी 779, 2015(2) सीवील कोर्ट केस 583 अलाहबाद हाई कोर्ट न्यायिक दृष्टांत अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत की।

आधिकारी एवं
यक कलेक्टर
टिब्बी

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा न्यायिक

दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी ने उक्त वाद में वर्णित तथ्यों का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होने पर वाद को खारिज करने हेतु निवेदन किया है। हस्तगत प्रकरण में वादीया ने प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्सा में अपने हकों की घोषणा चाही है। जबकि वादीया स्वंय अपनी बहनों के साथ उक्त विवादित आराजी में अपना हक हिस्सा अपने भाईयों व माता के पक्ष में जरिये रजिस्ट्रर्ड दस्तबदारी दस्तावेज दिनांक 9.9.1993 त्याग कर चुकी है । प्रस्तुत प्रकरण में वादीया ने भाईयों के द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उक्त दस्तबदारी का निष्पादन होना बताया है और न्यायालय हाजा से उक्त दस्तबदारी को शून्य और प्रभावहीन मानते हुए वर्णित आराजी में अपने हकों की घोषणा चाही है। लेकिन उक्त वाद में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण का हिस्सा वादीया के द्वारा निष्पादित कथित दस्तबरदारी विलेख की वास्तविकता पर निर्भर करता है। तथाकथित दस्तबरदारी फर्जी दस्तावेजों से करवायी गयी अथवा विधि विरूद्व है अथवा नहीं का प्रश्न केवल सिविल न्यायालय से संबंधित है। राजस्व न्यायालय को इस प्रश्न से निपटने का क्षेत्राधिकार नहीं है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राजस्व न्यायालय से संबंधित क्षेत्राधिकार से बाहर होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होना प्रकट होता है।

सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों में यदि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो अर्थात Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law; के अनुसार प्रस्तुत वाद में वादीया द्वारा चाहा गया अनुतोष पूर्ण रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में की गई दस्तबरदारी को शून्य एवं प्रभावहीन करवाने का जाहिर है जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर सिविल न्यायालय का है।

अतः उपरोक्त विवेचानुसार एवं सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की उपधारा (घ) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी वाद के स्वीकार किया जाता है और मूल वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 7/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(... नारायण)
R.A.S
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी टिब्बी जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

0न0 – 108 / 2025

नवान : –

1. संजू पुत्री हरीराम पत्नी सुधीर नैण जाति जाट निवासी खांरिया त0 रानिया जिला सिरसा।

वादीया

बनाम्

1 विजय सिंह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी टिब्बी त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2 कमला पुत्री हरीराम पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी डबलीकंला त0 टिब्बी।
3 इन्द्रा पुत्री हरीराम पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी गन्धेली त0 रावतसर।
4 गायत्री पुत्री हरीराम पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी गन्धेली त0 रावतसर।
5 भावना पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी टिब्बी त0 टिब्बी।
6 अनिरूद्व पुत्र रायसिंह जाति जाट निवासी टिब्बी त0 टिब्बी।
7 वर्षा पुत्री रायसिंह जाति जाट निवासी टिब्बी त0 टिब्बी।
8 तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी सुभाष गर्ग व एमके गौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादीया में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादीया इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। खर्चा उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक ...7/4/24......मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण) R.A.S
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी